

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 29/01/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करण्डा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टीगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2026 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान फौ0मु0नं0 1736/17 स्टेट आनन्द सिंह धारा 323, 504, 325 IPC से सम्बन्धित वारण्टी अमन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व फौ0मु0 1819/17 धारा 323, 379 IPC से सम्बन्धित महिला वारण्टी बबिता पाण्डेय पुत्री स्व0 हरिहर पाण्डेय को उनके निवासस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अमन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खिदिरपुर(खिजिरपुर) थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष
2. बबिता पाण्डेय पुत्री स्व0 हरिहर पाण्डेय निवासी ग्राम कटिरया थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 41 वर्ष

2. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 02 नफर अभियुक्तगण की सफल गिरफ्तारी ।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.11.2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के भाई की नाबालिग पुत्रियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 335/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/5L/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 श्री अटल बिहारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्तगण तुषार कुशवाहा व नितीश सिंह उर्फ प्रेम सिंह उर्फ मोगली को नोनहरा पारा गेट के पास से आज दिनांक 28.01.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण -

1. नितीश सिंह उर्फ प्रेम सिंह उर्फ मोगली पुत्र कृष्णा सिंह उर्फ नागा सिंह निवासी ग्राम बौरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष
2. तुषार कुशवाहा पुत्र रामसुख कुशवाहा निवासीगण ग्राम बौरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 335/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/5L/6 पाक्सो एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

3. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा गौहत्या निवारण अधिनियम से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 27.01.2026 को अभियुक्त के पिकअप वाहन से 03 राशि गोवंश व 01 राशि बछड़ा बरामद होना, जिसके सम्बंध में थाना नोनहरा पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 3/5बी/5ए/8 गौहत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 उत्तर प्रदेश का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.01.2026 को उ0नि0 श्री अविनाश मणि तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी ग्राम जैतपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष को अटवा मोड़ से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

1. धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी ग्राम जैतपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -38/26 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 29/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु अतिचार अधिनियम थाना गहमर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 22/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना करण्डा जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 2640/2017 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 81/2021 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

4. थाना जमानियाँ पुलिस द्वारा चोरी/झपटमारी व हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.01.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव व उ0नि0 बृजेश्वर यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 304(2),317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 439/2025 धारा- 109(1) बीएनएस में वांछित अभि0 अंकेश यादव उर्फ अनिकेश यादव उम्र करीब 19 वर्ष को बहादुरपुर नहर से नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता आपराधिक इतिहास -

01.अंकेश यादव उर्फ अनिकेश यादव पुत्र अशोक यादव नि0ग्राम बहादुरपुर थाना जमानियाँ गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

(i) मु0अ0सं0- 393/25 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

(ii) मु0अ0सं0- 439/2025 धारा- 109(1) बीएनएस थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

(iii) मु0अ0सं0- 120/2024 धारा- 115(2),352,351(2),126(2) बीएनएस थाना जमानियाँ गाजीपुर

बरामदगी -

01.झपटमारी का 5500 रु0

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर